विचार बिन्दु

कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। -कहावत

पुराने वनों का संरक्षण सबसे बड़ा प्राकृतिक जलवायु समाधान है

ऐसे वन जो विकास के उन्नत चरण में हैंया जहाँ विविध प्रजातियों के पुराने, मोटे और बड़े वृक्षों की बहुतायत है उन्हें दुनिया प्राइमरी फॉरेस्ट्स या ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट्स के नाम से जानती है। ऐसे वनों के पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक महत्त्व पर विश्व भर में बड़ी शोध हुई है।ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट्स की अभी भी कोई एक मानक परिभाषा नहीं है। फिर भी इन वनों में प्रमुख प्रजातियों की लंबी उम्र, प्राकृतिक गड़बड़ी का कम से कम होना, मानव हस्तक्षेप का कम होना, छाया-सहिष्णुता या छाया में भी उग सकने वाली प्रजातियों की बहुलता, विशिष्ट संरचनाओं, जैसे बड़े-बड़े पेड़, खोखलों में घोंसले बनाने वाले पक्षियों की उपस्थिति और बहुतायत, भारी-भरकम पुराने वृक्षों के यत्र तत्र गिरे-पड़े संचित सूखे तने, मिट्टी के ऊपर पत्तियों और सूखी टहनियों की मोटी परत आदि लक्षणों के संदर्भ में पहचाना और परिभाषित किया जाता है। इन क्षेत्रों में मिलने वाले बड़े वृक्षों में मधुमक्खियों के छत्ते भी प्राय: देखे जाते हैं। इसके अलावा बड़े वृक्षों के मुख्य तने में छाल में निवास करने वाले विविध प्रजातियों के कीड़े-मकोड़े पाये जाते हैं। सैप्रोजायलिक कवक, लाइकेन तथा कीड़ों की प्रजातियां बड़ी संख्या में सूखी गिरी पड़ी लकड़ी पर निर्भर होती हैं।

ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट के नीचे की मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पोषक तत्वों की प्राय: कोई कमी नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं क्योंकि यदि आग, चराई और कटान नहीं हो रहा है तो बायोजियोकेमिकल चक्र सुचारु रुप से चलते हैं। ऐसा संभव है ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट्स के आसपास कोई नदी-नाला या नम भूमि इत्यादि हो। प्राय: यह भी देखा गया है कि ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट्स में पौधों और प्राणियों की जो प्रजातियां मिलती हैं वे समीपवर्ती वन क्षेत्रों से कुछ भिन्न हो सकती हैं। इन क्षेत्रों में प्राय: बड़े बीजों वाली प्राणी-विकीर्णित वृक्ष प्रजातियों का बाहुल्य होता है।

उष्णकटिबंधीय वनों में जहां प्रजातियों की विविधता और प्राकृतिक वातावरण पर मानव दबाव दोनों ही अधिक हैं, भूमि-उपयोग परिवर्तन जैव-विविधता को गंभीर खतरे में डालते हैं। कृषि, लकड़ी के लिये कटान, उद्योगों की स्थापना और अन्य उपयोगों के लिये उष्णकटिबंधीय वनों के तेजी से बदलाव उष्णकटिबंधीय जैव-विविधता को नष्ट कर देते हैं। एक शोध जो 138 अध्ययनों की मेटा-एनालिसिस का उपयोग कर की गयी, के परिणाम उष्णकटिबंधीय जंगलों में मानवीय दखल के कारण विक्षोभ और भूमि रूपांतरण से जैव-विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का वैश्विक मूल्यांकन प्रदान करते हैं (देखें, एल. गिब्सन इत्यादि, नेचर, 478(7369):378-381, 2011)। इस अध्ययन में प्राथमिक वनों जिनमें कोई मानवीय दखल नहीं था और बिगड़े वनों जिनमें मानवीय दखल था, में जैव-विविधता का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। यह पाया गया अवक्रमित या बिगड़े वनों में जैव-विविधता की स्थिति तमाम कारणों से बहुत ख़राब थी। यह वैश्विक शोध निर्विवाद रूप से सिद्ध करतीहै की वन-विनाश के विविध कारणों का उष्णकटिबंधीय जैव-विविधता पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त एवं अन्य शोध के परिणाम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि जब उष्णकटिबंधीय जैव-विविधता को बनाये रखने की बात आती है, तो प्राथमिक वनों का कोई विकल्प नहीं है (देखें, जे. बार्लो इत्यादि, प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द नेशनल अकैडमी ऑफ़ साइंसेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका, 104(47):18555-18560, 2007)।

संपूर्ण विश्व के कुल 23 से 26 प्रतिशत वन ही अब प्राइमरी याओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट्स के रूप में बचे हैं। राजस्थान में कई जिलों में ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट्स अभी भी बचे हुये हैं, हालांकि ऐसे वन उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्रों में विशेष रुप से संकटापन्न हैं। संकट के मुख्य कारण आसपास रहने वाली मानव आबादी के पालतू मवेशियों द्वारा चराई, जलाऊ लकड़ी के लिये कटाई और घर बनाने के लिये इमारती लकड़ी की कटाई इत्यादि हैं। ऊपर से प्राकृतिक और मानव-जनित कारणों से आग भी ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट्स को बड़ी हानि पहुँचती है। कई क्षेत्रों में बड़े वृक्षों की शाखाओं को काट कर साल दर साल चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये पुराने वनों से अर्जुन (कहुआ, कोहड़ा) के बड़े वृक्षों की शाखाओं को काटकर भैंसों के चारे के रूप में उपयोग होता है। हर साल शाखा कटान के कारण इन वृक्षों में फूल, फल और बीज लगने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। बीजों का उत्पादन और विकीर्णन नहीं होने से प्राकृतिक पुनरुत्पादन बाधित होता है। जिन क्षेत्रों में बीजों का उत्पादन होता भी है वहां बीज विकीर्णन करने वाली वन्य-प्राणी प्रजातियां ना होने से अब केवल बड़े वृक्ष ही बचे हैं क्योंकि प्राकृतिक पुनरुत्पादन नहीं के बराबर है। जो भी थोड़ा बहुत पौधे उगते हैं वे भी बड़े होने के पहले ही चर लिये जाते हैं। आग का भी प्रकोप होता है, हालांकि उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में पिछले 30 वर्षों वनों में प्राय: सतही आग ही लगी है। इससे बड़े वृक्षों को भले ही हानि ना होती हो, किंतु बीजों, बिजौलों व प्राकृतिक पुनरुत्पादन को बड़ी हानि पहुंचती है। क्लाइमेट चेंज की दशा में आर्द्र तराई क्षेत्रों के वनों में हर जगह पुराने जंगलों में जमीन के ऊपर के जैवभार (बायोमास) में कमी आने की भारी आशंका है। उष्ण कटिबंध में वर्ष 2081-2100 के मध्य तक तापमान बढ़ने के कारण इस कमी का अनुमान 41 प्रतिशत और विश्व स्तर पर 29 प्रतिशत है (देखें, एम. लर्जावारा इत्यादि, कार्बन बैलेंस एंड मैनेजमेंट, 16(1):31, 2021)।

> **पुराने वनों का संरक्षण और प्रबंध प्राकृतिक जलवायु समाधान के रूप में विशेष महत्व रखता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और भंडारण के साथ ही इन वनों के अनगिनत लाभ हैं। वनानुभव व पारिस्थितिक पर्यटन, मानव के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हेतु संसाधन, जैव-विविधता व आनुवंशिक संसाधन का संरक्षण, भौम-जलस्तर में बढ़त व जल-धाराओं, झरनों व नदियों के रूप में पानी की उपलब्धता, देववनों के रूप में स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों के वाहक होते हैं।**

पुराने वनों का संरक्षण और प्रबंध प्राकृतिक जलवायु समाधान के रूप में विशेष महत्व रखता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और भंडारण के साथ ही इन वनों के अनगिनत लाभ हैं। वनानुभव व पारिस्थितिक पर्यटन, मानव के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हेतु संसाधन, जैव-विविधता व आनुवंशिक संसाधन का संरक्षण, भौम-जलस्तर में बढ़त व जल-धाराओं, झरनों व नदियों के रूप में पानी की उपलब्धता, देववनों के रूप में स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों के वाहक होते हैं। ऐसे वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाली रणनीतियाँ केवल इन वनों को केन्द्रित कर बनाये जाने के बजाय सम्पूर्ण भू-परिदृश्य के स्तर पर बनाना आवश्यक होता है। पहली बात इनमें बड़े वृक्षों की बहुतायत के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन जमा होता है और सैकड़ों साल तक होता रहता है, इसीलिये ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट्स को विश्व के कार्बन भण्डार के रूप में जाना जाता है। क्लाइमेट चेंज मिटीगेशन के लिए यह भण्डार अति महत्वपूर्ण है (देखें, एस. लुस्स्येर्ट इत्यादि, नेचर, 455 (7210): 213-215, 2008)। दूसरी बात यह है कि पुराने पेड़ों में अपेक्षाकृत स्थिर विकास दर होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध उल्लेखनीय प्रतिरोध देती है (देखें, एम. कोलेंगेलो इत्यादि, साइंस ऑफ़ द टोटल एनवायरनमेंट, 801,149684, 2021)। इसके साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे वन अन्य क्षेत्रों में वनों के पुनर्स्थापन के लिये उन प्रजातियों के बीजों और जैव-विविधता के सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं जो लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं किन्तु उष्णकटिबंधीय वनों के अन्य क्षेत्रों से स्थानीय रुप से विलुप्त हो चुकी हैं (देखें, डी.एन. पाण्डेय, कन्जर्वेशन बायोलॉजी, 17(2): 633-635, 2003)।

इसी बात को ध्यान में रखते हुयेदेश के विभिन्न राज्यों में सभी ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट्स को चिन्हित कर संरक्षण व संवर्धन एवं सतत विकास किया जाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों के अंदर पुराने और बड़े वृक्षों का संरक्षण और साथ में संपूर्ण क्षेत्र का संरक्षण दोनों को ही ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ चराई और कटाई से बचाव के साथ-साथ यहां सूखी गिरी पड़ी लकड़ी को भी बाहर निकालने से रोकना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है सूखे गिरे पड़े वृक्ष भी तमाम प्रजातियों के संरक्षण के लिये आवश्यक हैं।

यदि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरुत्पादन नहीं हो रहा है तो वनों के वितान में जहां खुले स्थान मिल रहे हैं वहां पर उसी प्रकार की प्रजातियों का रोपण आवश्यक है जो ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ऐसी प्रजातियां प्राय: बड़े बीजों वाली और चौड़ी पत्ती वाली होती हैं। बड़े बीज होने से इनका विकीर्णन बड़े शरीर वाले प्राणियों द्वारा ही हो सकता है परंतु चूंकि अनेक क्षेत्रों से बड़े शरीर वाले प्राणी विलुप्त हो चुके हैं इसलिए हमें वृक्षारोपण, सीधी बुवाई और डंडारोपण करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में बड़े बीजों वाली प्रजातियों में आम, महुआ, जामुन, अर्जुन, बहेड़ा, सादड़, कणज, घटबोर, लिसोड़ा, बीजासाल, खाखरा, कड़ाया, सीताफल, बेल, नीम, कचनार, तेंदू, बिस्तेंदू, गोदल, ऊंबिया, इमली, सागवान, बेर, खजूर, अचार या चारोली, कुसुम, हिंगोट, अरीठा आदि शामिल हैं। कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी उगाना चाहिये जो फलों के लिये प्रसिद्ध हैं, भले ही वे छोटे बीज वाली हों। आँवला, बरगद, कैंथगूलर, पीपल, कैर, लिसोड़ा, जाल, खेजड़ी आदि फल के लिये जानी जाती हैं (देखें, डी.एन. पाण्डेय, अरावली के वन्य वृक्ष: वनवर्धन एवं पौधशाला प्रबंध, पृष्ठ 1-24, 1992)।

चूंकि ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट्स का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए सबसे उपयोगी यह है कि ऐसे क्षेत्रों को फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के लिये चयनित किये जा रहे बड़े क्षेत्रों के अंदर लेकर बड़े दायरे में बीजारोपण व बहुत आवश्यक हो तो वृक्षारोपण करना चाहिये। बाहर के दायरे में जहां प्रजाति विविधता कम है या क्षेत्र खाली हो गये हैं वहां पर अर्ली-सक्सेशनल, मिड-सक्सेशनल, और लेट-सक्सेशनल प्रजातियों के मिश्रण की मृदा व जल संरक्षण के साथ सीधी बुवाई किया जाना उपयोगी रहेगा। साथ ही थोड़ी-बहुत वनस्पति जो उस क्षेत्र में हो उसका संरक्षण करना उपयोगी रहेगा। ऐसा करने से धीरे-धीरे ओल्ड-ग्रोथ फॉरेस्ट का दायरा बढ़ने लगेगा। इस रणनीति का एक लाभ यह भी है कि क्षेत्र में पक्षियों द्वारा विकीर्णित होने वाले बीजों का विकीर्णन भी पूरे वृक्षारोपण क्षेत्र में बढ़ेगा। सुरक्षित क्षेत्र में होने वाला अंकुरण और पनपने वाले पौधों के सुरक्षित बड़े पौधों के रूप में विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।

प्राचीन, विशालकाय वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय वन जैव-विविधता की जीती-जागती अनमोल विरासत हैं। इनका संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता है। उष्णकटिबंधीय वनों और जैव-विविधता से मानवता को प्राप्त होने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ हेतु पुराने प्राथमिक वनों का कोई विकल्प नहीं है। प्राकृतिक जलवायु समाधान के रूप में इन वनों के प्रमाण-आधारित प्रबंध में निवेश अनिवार्य है।

-अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय,
(भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त; वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं)

राजनीति में निवृत्ति का यथार्थ और उसके निहितार्थ

डॉ. कैलाश चन्द सैनी

राजनीति में शायद ही कभी कोई वास्तविक 'निवृत्ति' होती है। नेताओं की चुनावी सक्रियता भले समाप्त हो जाए पर उनका सत्ता-संरचना से जुड़ाव बना रहता है। राजस्थान के अनेक वरिष्ठ नेताओं की विधानसभा से राजभवन तक की यात्रा यह प्रश्न खड़ा करती है कि क्या संवैधानिक पद अनुभवी राजनेताओं के कौशल का संस्थागत उपयोग हैं, या मात्र राजनीतिक पुनर्स्थापन का एक माध्यम? यहां राजनीति में 'निवृत्ति' के इसी यथार्थ का अन्वेषण किया गया है तथा इसके व्यापक संवैधानिक निहितार्थों का तथ्याधारित विश्लेषण प्रस्तुत है।

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक दिलचस्प और व्यापक रूप से स्वीकृत यथार्थ यह है कि राजनीति में 'निवृत्ति' (सेवानिवृत्ति) की अवधारणा लगभग अप्रासंगिक प्रतीत होती है। शासकीय अथवा निजी सेवाओं में जहाँ एक निश्चित आयु के बाद व्यक्ति औपचारिक दायित्वों से मुक्त होकर विश्राम और निजी जीवन की ओर उन्मुख होता है, वहीं राजनीति में सक्रियता का अवसान शायद होता ही नहीं। यहाँ सेवानिवृत्ति का अर्थ प्राय: सार्वजनिक जीवन से दूरी नहीं, बल्कि सत्ता-संरचना के भीतर किसी नए दायित्व, नए पद अथवा नई भूमिका की तलाश होता है।

चुनावी राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से अलग हो जाने के बाद भी अधिकांश वरिष्ठ राजनेता किसी न किसी रूप में सत्ता और प्रतिष्ठा के केंद्रों से जुड़े रहना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की उस संरचनात्मक संस्कृति का भी हिस्सा है, जिसमें अनुभव, प्रभाव और राजनीतिक उपयोगिता को अंतिम समय तक सक्रिय बनाए रखा जाता है।

अनुभव का संस्थागत उपयोग या राजनीतिक पुनर्वास? -यदि इस प्रवृत्ति का अध्ययन राज्यों की राजनीति, विशेषत: राजस्थान के संदर्भ में किया जाए, तो अनेक रोचक निष्कर्ष सामने आते हैं। राजस्थान विधानसभा से जुड़े कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को आगे चलकर राज्यपाल अथवा उपराज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जाना अब लगभग एक स्थापित राजनीतिक परिपाटी बन चुका है। औपचारिक दृष्टि से इसे अनुभवी जननेताओं के दीर्घ राजनीतिक अनुभव का संस्थागत उपयोग कहा जा सकता है, किंतु व्यावहारिक राजनीति के धरातल पर यह प्रक्रिया कई बार 'राजनीतिक पुनर्स्थापन' अथवा सम्मानजनक पुनर्वास के रूप में भी दिखाई देती है। जब बदलते राजनीतिक समीकरण, आयु अथवा संगठनात्मक परिस्थितियाँ नेताओं की प्रत्यक्ष चुनावी भूमिका को सीमित करने लगती हैं, तब राज्यपाल का पद उनके लिए एक प्रतिष्ठित और अपेक्षाकृत सुरक्षित संवैधानिक आश्रय बन जाता है।

संवैधानिकता तथा राजनीतिक समीकरण -राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। यही कारण है कि समय-समय पर यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या राजभवन पूरी तरह निष्पक्ष संवैधानिक संस्थान बन पाए हैं, अथवा वे कभी-कभी केंद्र और राज्यों के राजनीतिक संबंधों के विस्तार-स्थल के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में राज्यपालों और निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न टकरावों ने इस बहस को और प्रासंगिक बना दिया है। आलोचकों का मत रहा है कि कुछ अवसरों पर राज्यपालों की भूमिका संवैधानिक मध्यस्थ की अपेक्षा केंद्र के राजनीतिक दृष्टिकोण के अधिक निकट दिखाई देती है। परिणामस्वरूप राजभवन कई बार सहयोगी संवैधानिक संस्था के बजाय एक समानांतर शक्ति-केंद्र के रूप में उभरता हुआ प्रतीत होता है, जो संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

पद पर रहते हुए जीवन का अवसान-कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहाँ वरिष्ठ नेता जीवन के अंतिम क्षण तक संवैधानिक पदों पर सक्रिय रूप से बने रहे -

शिवचरण माथुर : नौ बार विधायक और दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे श्री माथुर को 4 जुलाई 2008 को 82 वर्ष की आयु में असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे अपने निधन (25 जून 2009) तक इस पद पर बने रहे।

गोविन्द सिंह गुर्जर - राजस्थान विधानसभा के छह बार सदस्य रहे श्री गुर्जर को 23 जुलाई 2008 को 76 वर्ष की आयु में पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। वे भी अपने निधन (6 अप्रैल 2009) तक इस पद पर पदासीन रहे। ये उदाहरण राजनीति में सार्वजनिक सक्रियता की निरंतरता को रेखांकित करते हैं।

विधानसभा से राजभवन तक-राजनीतिक इतिहास में अनेक अवसर ऐसे आए जब पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजभवनों में नई संवैधानिक भूमिका प्रदान की गई।

मोहनलाल सुखाड़िया : लगभग सत्रह वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे सुखाड़िया जी बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल बने। सक्रिय प्रांतीय राजनीति से संवैधानिक दायित्वों की ओर उनका यह संक्रमण भारतीय राजनीति में वरिष्ठ नेतृत्व की निरंतर उपयोगिता का उदाहरण माना जा सकता है।

जगन्नाथ पहाड़िया : विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले पहाड़िया जी पहले बिहार (1989-1990) तथा बाद में हरियाणा (2009-2014) के राज्यपाल रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा यह संकेत देती है कि भारतीय राजनीति में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका समय के साथ केवल परिवर्तित होती है, समाप्त नहीं।

श्री हरिदेव जोशी: लगातार दस बार विधायक रहे जोशी जी का राजनीतिक जीवन अन्य राजनेताओं से सर्वथा भिन्न रहा है। दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्हें 1989 में असम और मेघालय के राज्यपाल का दायित्व सौंपा गया। करीब 8 माह बाद ही राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें पुन: सक्रिय राजनीति में लौटकर एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तब वे राज्यपाल के पद से आधिकारिक त्यागपत्र दिए बिना ही मुख्यमंत्री की शपथ के लिए जयपुर लौट आए थे। इस अप्रत्याशित कानूनी पेचिदगी के कारण उनकी शपथ को एक दिन के लिए टालना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पदमुक्त होकर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह एक अत्यंत विरल उदाहरण माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि राजनीति में 'अंतिम पड़ाव' जैसी अवधारणा प्राय: स्थायी नहीं होती।

उत्तरार्ध की राजनीति और संवैधानिक दायित्व

पंडित नवलकिशोर शर्मा: पाँच बार लोकसभा सांसद और 11वीं विधानसभा में विधायक रहे शर्मा जी को 24 जुलाई 2004 को 79 वर्ष की आयु में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहाँ वे 2009 तक पदस्थ रहे।

डॉ. श्रीमती कमला: सात बार विधायक तथा राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री रहीं डॉ. कमला को 82 वर्ष की आयु में त्रिपुरा तथा बाद में गुजरात और मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। गुजरात में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार और राजभवन के संबंधों को लेकर व्यापक राजनीतिक चर्चा हुई, जिसने राज्यपाल की भूमिका और केंद्र-राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय विमर्श को और तीक्ष्ण किया।

समकालीन परिदृश्य की प्रवृत्ति

गुलाब चंद कटारिया: नौ बार विधायक और तीन बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने के बाद 78 वर्ष की आयु में उन्हें फरवरी 2023 में असम का राज्यपाल तथा जुलाई 2024 में पंजाब का राज्यपाल एवं चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति सक्रिय प्रांतीय राजनीति से संवैधानिक दायित्वों की ओर संक्रमण का नवीन उदाहरण है।

ओमप्रकाश माथुर: संगठनात्मक राजनीति और दो बार राज्यसभा में दीर्घ अनुभव रखने वाले श्री माथुर को सक्रिय दलीय भूमिका के बाद 72 वर्ष की आयु में जुलाई 2024 में सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है।

संवैधानिक गरिमा की चुनौती-मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर समकालीन नेताओं तक की यह राजनीतिक यात्रा राजनीति में 'निवृत्ति' के उसी कठोर यथार्थ को रेखांकित करती है, जहाँ यह प्रक्रिया मात्र एक भूमिका-परिवर्तन बनकर रह गई है। लेख के पूर्ववर्ती विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि इन संवैधानिक पदों का उपयोग केवल वरिष्ठ नेताओं के सम्मानजनक पुनर्स्थापन तक सीमित रहा, तो यह उन पदों की संवैधानिक गरिमा के लिए प्रश्नचिह्न बना रहेगा। राज्यपाल का पद भारतीय संघीय ढांचे में संतुलन, मर्यादा और संवैधानिक तटस्थता का प्रतीक माना गया है। इसलिए आवश्यक है कि इन पदों पर आसीन व्यक्तित्व स्वयं को किसी राजनीतिक दल अथवा तात्कालिक सत्ता-केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संविधान के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में स्थापित करें। राजनीति में अनुभव का सम्मान आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है संवैधानिक पदों की निष्पक्ष गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना। तभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ जनविश्वास की वास्तविक संवाहक बन सकेंगी।

-डॉ. कैलाश चन्द सैनी,
वरिष्ठ लेखक एवं पूर्व मुख्य शोध एवं संदर्भ अधिकारी,
राजस्थान विधानसभा, जयपुर

बचपन से परे : भारत को बाल्यकाल क्रांति की आवश्यकता क्यों है?

हमारा लक्ष्य ऐसा बाल-मित्र भारत बनाना चाहिए जहाँ शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और अवसर प्रत्येक बच्चे तक पहुँचें

सान्या सिंह

कुछ बच्चे उम्र से नहीं, परिस्थितियों से बड़े हो जाते हैं। जब उनके हाथों में किताबों की जगह औज़ार, खेल की जगह काम और सपनों की जगह जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तब वे बचपन जीने के बजाय उससे आगे धकेल दिए जाते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें ऐसे ही उन लाखों बच्चों की याद दिलाता है, जो बचपन से परे एक जीवन जीने को मजबूर हैं। हर बच्चे का अधिकार है कि उसका बचपन शिक्षा, खेल, मुस्कान और सपनों से भरा हो। लेकिन आज भी दुनिया भर में लाखों बच्चे विद्यालयों और खेल के मैदानों के बजाय ऐसे कार्यस्थलों पर अपना समय बिताने को मजबूर हैं, जहाँ उनके बचपन और मासूमियत की कीमत पर जीवनयापन किया जाता है।

इस विषय पर चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि बाल श्रम वास्तव में क्या है। बाल श्रम वह कार्य है जो बच्चों को उनके बचपन, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास से वंचित कर देता है। जब किसी बच्चे से ऐसा कार्य कराया जाता है जिसके कारण वह शिक्षा, खेल, सुरक्षा और स्वस्थ विकास जैसे अपने मूलभूत अधिकारों से दूर हो जाता है, तो वह बाल श्रम की श्रेणी में आता है।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति 'बालक' माना जाता है। इस कानून के तहत बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करना प्रतिबंधित है, सिवाय कुछ सीमित परिस्थितियों के, जैसे विद्यालय समय के बाद पारिवारिक उद्यम में सहयोग करना। यह कानून स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि बच्चों का स्थान विद्यालयों और सुरक्षित वातावरण में है, न कि उन कार्यस्थलों पर जो उनके विकास में बाधा बनते हैं। जब हम बाल श्रम शब्द सुनते हैं, तो प्राय: किसी कारखाने या खतरनाक उद्योग में काम करते बच्चे की छवि हमारे सामने आती है। किंतु 21वीं सदी का बाल श्रम अक्सर हमारी आँखों के सामने होते हुए भी अदृश्य बना रहता है। यह छोटी दुकानों, ढाबों, खेतों, घरेलू कार्यों, पारिवारिक व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र के अनेक कार्यस्थलों में मौजूद है, जहाँ बच्चे चुपचाप अपना बचपन खो देते हैं।

बाल श्रम केवल कार्यस्थलों तक सीमित नहीं है। यह हमारे घरों में भी दिखाई देता है, जहाँ कई बच्चे अपनी शिक्षा छोड़कर वयस्कों जैसी जिम्मेदारियाँ निभाने को मजबूर हो जाते हैं। वह बच्चा जो नियमित रूप से खेतों में काम करने के कारण स्कूल नहीं जा पाता, वह बच्ची जो छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, या वह बच्चा जिसकी शिक्षा पारिवारिक कार्यों के बोझ तले दब जाती है-ये सभी बाल श्रम के शिकार हैं।

कोई भी बच्चा एक दिन अचानक उठकर मजदूर बनने का निर्णय नहीं लेता। यह निर्णय अक्सर समाज और परिस्थितियाँ उसके लिए लेती हैं। गरीबी, असमान अवसर, विद्यालय छोड़ने की मजबूरी, पलायन और आर्थिक असुरक्षा बच्चों को उस उम्र में काम करने के लिए धकेल देती है, जब उन्हें कक्षा में बैठकर सीखना चाहिए। कड़वी सच्चाई यह है कि बच्चे बाल श्रम के कारण नहीं, बल्कि उसके शिकार होते हैं।

बच्चों को अक्सर आसान लक्ष्य समझा जाता है। उन्हें कम मजदूरी पर काम कराया जा सकता है, आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और वे अपने अधिकारों की मांग भी कम कर पाते हैं। यही कारण है कि कई नियोक्ता वयस्कों की तुलना में बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। यह शोषण इसलिए नहीं जीवित है क्योंकि बच्चे इसे चुनते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज अक्सर इसे मौन स्वीकृति देता है।

माता-पिता भी कई बार कठोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण विवश हो जाते हैं। जिन परिवारों का जीवनयापन मुश्किल से हो पाता है, वहाँ प्रत्येक कमाने वाला हाथ आवश्यकता बन जाता है। "जितने हाथ, उतना काम और उतनी कमाई" जैसी सोच आज भी अनेक परिवारों में मौजूद है। हालांकि अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, लेकिन आर्थिक मजबूरियाँ उन्हें तत्काल आवश्यकताओं को बच्चों की शिक्षा और भविष्य से ऊपर रखने के लिए बाध्य कर देती हैं। हर सौदे की एक कीमत होती है। कभी-कभी यह कीमत पैसों में नहीं, बल्कि किसी बच्चे की शिक्षा, अवसरों और भविष्य के रूप में चुकाई जाती है। इसलिए बाल श्रम केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। विडंबना यह है कि एक ओर दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और भविष्य की तकनीकों की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों बच्चे आज भी अपने सामर्थ्य को विकसित करने के अवसर से वंचित हैं। जो राष्ट्र भविष्य का नेतृत्व करने का सपना देखता है, वह अपने बच्चों को पीछे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता।

यदि बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है, तो उसका समाधान भी सामाजिक होना चाहिए। सरकारों को केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।

भावनात्मक विज्ञापन, लघु फिल्में, डिजिटल अभियान और सोशल मीडिया पहल लोगों को यह समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि बाल श्रम की वास्तविक कीमत क्या है।

बच्चों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। विद्यालयों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें शोषण की पहचान करने और शिक्षा के महत्व को समझाने की आवश्यकता है। साथ ही, सरकारों को नि:शुल्क कौशल विकास केंद्र स्थापित करने चाहिए, ताकि बच्चे सीमित अवसरों से आगे बढ़कर बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकें। सवाल यह नहीं है कि क्या हम बाल श्रम समाप्त कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ हर बच्चा वास्तव में अपना बचपन जी सके। हमारा लक्ष्य केवल बाल श्रम मुक्त भारत बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा बाल-मित्र भारत बनाना चाहिए जहाँ शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और अवसर प्रत्येक बच्चे तक पहुँचें।

बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई केवल बच्चों को कार्यस्थलों से हटाने की लड़ाई नहीं है। यह उन्हें वह सब लौटाने का प्रयास है जो उनसे छीन लिया गया है-सीखने की स्वतंत्रता, खेलने की स्वतंत्रता, सपने देखने की स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर, एक बच्चा होने की स्वतंत्रता। "वास्तविक प्रगति का माप यह नहीं है कि कितने बच्चे कम काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि कितने बच्चे अपना बचपन स्वतंत्र रूप से जी पा रहे हैं।"

-सान्या सिंह,
शोध छात्रा (वनस्थली विद्यापीठ)

राशिफल रविवार 7 जून, 2026

पंडित अनिल शर्मा

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2083, धनिष्ठा नक्षत्र प्रात: 7:56 तक, वैधृति योग दिन 10:02 तक, विष्टिकरण दिन 3:03 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग सूर्योदय से प्रात: 7:56 तक है। द्विपुष्कर और रवियोग प्रात: 7:56 तक रहेंगे। भद्रा दिन 3:03 तक है। आज वैधृति पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 7:19 से 9:01 तक, लाभ अमृत 9:01 से 12:25 तक, शुभ 2:08 से 3:50 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:15

मेष

मेष: घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं, उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। पिछले कुछ समय से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आज महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। आवश्यक कार्यों में परेशानी हो सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

तुला

आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

कुंभ

महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। परिजनों के सहयोग और व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।